अपील सूचना का अधिकार संख्या 24/2022 (GCMS 2022/70)(आईटीआई पोर्टल नं. 212815432631048) रामचन्द्र पुत्र लाला राम ब्राह्मण, गांव खाटां, तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 83028-43665) बनाम अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

27.09.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी रामचन्द्र स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी रामचन्द्र ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 21.02.2022 से अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने निर्धारित समय सीमा में उसे सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर पर 250/- प्रति दिन जुर्माना लगाने व अनुशासनात्मक कार्यवाही कर, उसे निःशुल्क सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 21.2.2022 के द्वारा अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः

1- File No. 11(116)/LAS/2020 Close detail
File date 06-10-2020 General Receipt No. 2220
परिवाद श्री रामचन्द्र द्वारा खाद्य सुरक्षा सामग्री अपात्र परिवार से मिली भगत से मिथ्या रिपोर्ट करने बाबत कार्यालय जिला कलक्टर द्वारा की गई जांच रिपोर्ट की प्रमाणित सूदा नकल।
2- File No. 11(310116)/LAS/2020 Close Detail
File date 22-03-2021 General Receipt No. 4357
परिवाद श्री रामचन्द्र द्वारा नियम विरूद्ध कृषि भूमि आवंटन को खारिज करने एवं भूमिहीन किसानों को आवंटन करने बाबत कार्यालय जिला कलक्टर द्वारा की गई जांच रिपोर्ट की प्रमाणित शुदा नकल।
3- File No. 11(65)/LAS/2021 Close detail
File date 22-03-2021 General Receipt No. [illegible]
परिवाद श्री रामचन्द्र द्वारा कोई भी [illegible] कर अपात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना एवं सामाजिक पेंशन का लाभ दिये जाने बाबत कार्यालय जिला कलक्टर द्वारा की गई जांच रिपोर्ट की प्रमाणित शुदा नकल।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:13:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

4- File No. 11(209)/LAS/2021 Close Detail
File date 27-10-2021 General Receipt No. 5027
परिवाद द्वारा श्री रामचन्द्र राजकीय भूमि से बेदखल करने एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने बाबत कार्यालय जिला कलक्टर द्वारा की गई जांच रिपोर्ट की प्रमाणित सूदा नकल।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक आर.टी.आई./——/2021/2215 दिनांक 13.04.2022 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 21.02.2022 द्वारा चाही गई सूचना प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलैक्ट्रेट, श्रीगंगानगर एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से सम्बन्धित होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 1786 88 दिनांक 22.02.2022 द्वारा लिख दिया गया था जिसकी प्रति पत्रांक 1788 दिनांक 22.02.2022 द्वारा अपीलार्थी को भी उपलब्ध करवा दी गई थी। अपील से सम्बन्धित जवाब प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पेश किया जाना है।

-sd-
लोक सूचना अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक [illegible]/2019/1769 दिनांक 22.04.2022 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:13:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 21.02.2022 के **बिन्दु संख्या 2 की सूचना कार्यालय हाजा से संबंधित होने से इस कार्यलय के पत्रांक 1114 दिनांक 11.03.2022 द्वारा प्रार्थी को प्रेषित कर दी गई थी।**

प्रार्थी के आवेदन के बिन्दु संख्या 4 की सूचना भू–अभिलेख शाखा से सम्बन्धित होने के कारण प्रार्थी को सीधे ही सूचना दिये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1115–16 दिनांक 11.03.2022 द्वारा अग्रेषित कर दी गई थी। सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति इस पत्र के संलग्न प्रेषित हैं ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

-sd-
लोक सूचना अधिकारी
प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा
कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ12(11) राजस्व (आरटीआई)/2022/4029 दिनांक 23.8.2022 से अपीलार्थी को चारों बिन्दुओं की संकलित सूचना निम्नानुसार प्रेषित की है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र के क्रम में माननीय आयोग द्वारा जारी नोटिस के क्रम में आरटीआई के तहत आप द्वारा चाही गई सूचना निम्नानुसार प्रेषित है :

बिन्दु संख्या	प्रश्न	प्रतिउत्तर
1.	File No. 11(116)/LAS/2020 File date 06-10-2020 General Receipt No. 2220 परिवाद श्री रामचन्द्र द्वारा खा[illegible] सुरक्षा सामग्री [illegible] मिली भगत [illegible] करने बाबत कार्यालय जिला कलक्टर द्वारा की गई जांच रिपोर्ट की प्रमाणित सूदा नकल।	इस सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने [illegible] पत्र क्रमांक रसद/सू.क.अ. /[illegible]/1314 दिनांक 09.03.2022 से [illegible] अवधि में अवगत करवा [illegible] गया था। जिसकी प्रति इस पत्र के [illegible]थ पुनः संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:13:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

2.	File No. 11(310116)/LAS/2020 File date 22-03-2021 General Receipt No. 4357 परिवाद श्री रामचन्द्र द्वारा नियम विरूद्ध कृषि भूमि आवंटन को खारिज करने एवं भूमिहीन किसानों को आवंटन करने बाबत कार्यालय जिला कलक्टर द्वारा की गई जांच रिपोर्ट की प्रमाणित शुदा नकल।	आपके द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्र कमांक एफ 12(11)()राजस्व(आरटीआई)/2022/1114 दिनांक 11.03.2022 से आपको निर्धारित अवधि में प्रेषित कर दी गई थी। जिसकी प्रति पुनः संलग्न है।
3.	File No. 11(65)/LAS/2021 File date 22-03-2021 General Receipt No. 4357 परिवाद श्री रामचन्द्र द्वारा कृषि भूमि का आवंटन कर अपात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना एवं सामाजिक पेंशन का लाभ दिये जाने बाबत कार्यालय जिला कलक्टर द्वारा की गई जांच रिपोर्ट की प्रमाणित शुदा नकल।	इस परिवाद की जांच रिपोर्ट जिला कलक्टर कार्यालय के पत्र कमांक एफ24(6)()पंचायत/2022/553 दिनांक 14.07.2022 द्वारा माननीय सचिव मोहदय, **लोकायुक्त सचिवालय को प्रेषित की गई है**। जिसकी प्रति संलग्न है।
4.	File No. 11(209)/LAS/2021 File date 27-10-2021 General Receipt No. 5027 परिवाद द्वारा श्री रामचन्द्र राजकीय भूमि से बेदखल करने एव दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने बाबत कार्यालय जिला कलक्टर द्वारा की गई जांच रिपोर्ट की प्रमाणित सूदा नकल।	आपके द्वारा चाही गई सूचन सहायक लोक सूचना अधिकारी, एवं प्रभारी अधिकारी (भू.अ.) श्रीगंगानगर द्वारा आपको निर्धारित अवधि में उनके कार्यायल के पत्र कमांक एफ(1-ई)भू.अ. /सूचना का अधिकार/2022/1559 दिनांक 23.03.2022 प्रेषित कर दी गई थी। जिसकी प्रति पुनः संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:13:19 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अधिकारी
(प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा)
कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक रसद/सू.क.अ/2022/1314 दिनांक 09.03.2022 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

इस सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय के रिकार्ड में संधारित नही है। सूचना अस्पष्ट है। राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 "च" में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमे किसी भी इलेक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई मेल, मत सलाह, प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल, आकडो संबंधी सामग्री शामिल है। प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र प022 (16)प्रसु/सूअप्र/2010 जयपुर दिनांक 16.12.2011 में यह स्पष्ट किया गया है कि सूचना में **"क्यों" प्रश्न** के उत्तर सम्मिलत नही है। रिट पैटीशन सं. 419/2007 डा0 सेलसा पिण्टो बनाम गोवा राज्य में स्पष्ट किया गया है कि सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है।

माननीय सूचना आयुक्त, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर के पत्रांक रासूआ/निर्णय/CIC/SGNG/A/2020/104467 दिनांक 14.07.2021 के द्वारा आरटीआई द्वितीय अपील संख्या CIC/SGNG/A/2020/104467 निर्णय दिनांक 16.04.2021 में यह निर्णय पारित किया गया कि –सूचनाओ के सन्दर्भ में अधिनियमानुसार, बिन्दुवार, सटीक सूचना/विनिश्चय जो प्रत्यर्थी/लोक प्राधिकारी की पहुंच में अभिलेख पर है उक्त बिन्दु 01 व 02 में चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी की पहुंच मे नही है।

अतः माननीय जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर के अपील सूचना अधिकार संख्या 80/2020 के द्वारा सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी गुंजाईश नही है। लोक सूचना अधिकारी द्वारासूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का सामाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है चाही गई सूचना प्रश्नोतर के रूप में नही होनी चाहिए चुंकि खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना के अधिकार के तहत नही आता। अतः सूचनाये एकत्रित कर उपलब्ध करवाना ऐसा कार्य है जो कार्यालय के संसाधनो को अनुपातिक रूप से [illegible] आरटीआई में धारा 7(9) में ऐसी सूचना उपलब्ध कराया जाना वर्जित है।

इस सम्बन्ध में आपको [illegible] अवधि में प्रथम अपील अधिकारी श्रीमान् जिला [illegible] कर सकते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:13:19 IST
Reason: SelfAttested

-sd-
लोक सूचना अधिकारी एवं
जिला रसद अधिकारी
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी (प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ12(11)राजस्व(आरटीआई)/2022/1114 दिनांक 11.03.2022 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

> आवेदन के क्रम में चाही गई बिन्दू संख्या 2 की सूचना इस पत्र के संलग्न प्रेषित है एवं बिन्दू संख्या 4 की सूचना प्रभारी अधिकारी, भू- अभिलेख शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से प्राप्त करे।
>
> लोक सूचना अधिकारी
> (प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा)
> कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ.24(6)( ) पंचायत/2022/553 दिनांक 14.07.2022 से सचिव लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को अपीलार्थी रामचन्द्र के परिवाद के सम्बन्ध में निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में प्रकरण की पुनः जांच उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से करवाई गई जांच रिपोर्ट अनुसार पटवारी हल्का द्वारा विधिवत तरीके से पंजीबद्ध दस्तावेज की नियमानुसार कार्यवाही की जाकर नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है। पटवारी हल्का पर लगाये गये आरोप निराधार है। उक्त प्रकरण में तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी महोदय प्रकरण संख्या 2021/349 से आवंटन खारिज करवाने हेतु अपील दायर की गई जिसमें [illegible] जांच रिपोर्ट अनुसार श्री रामचन्द्र द्वारा की [illegible] खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:13:19 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अधिकारी एवं [illegible] अधिकारी (भू.अ.), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ(1—ई)भू.अ./सूचना का अधिकार/2022/1559 दिनांक 23.03.2022 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 आवेदन दिनांक 21.02.2022 एवं कार्यालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर का पत्रांक एफ12(11)()राजस्व(आरटीआई)/2022/1115 16 दिनांक 11.03.2022 में आप द्वारा चाही गयी सूचना के क्रम में कार्यालय रिकार्ड में उपलब्ध रिकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न कर प्रेषित है।
>
> सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं
> प्रभारी अधिकारी (भू.अ.) श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर अपीलार्थी को अपने पत्र दिनांक 23.08.2022 से उक्तानुसार जवाब दिया जा चुका है। वह सही है उसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है किन्तु जिला कलक्टर कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ24(6)पंचायत/2022/553 दिनांक 14.07.2022 से जो सूचना माननीय सचिव, लोकयुक्त सचिवालय को भिजवाई गई है वह अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में निर्धारित समयावधि में भिजवाई जानी प्रतीत नही होती है, इसलिए प्रभारी अधिकारी, पंचायत शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि वे बिन्दु संख्या 3 की सूचना अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर, प्रभारी अधि[illegible] शाखा/भू.अ.शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर एवं जिला र[illegible] को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। [illegible] कमील दाख़िल दफ़्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:13:19 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 27.09.[illegible]2 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर